

**वरिष्ठ**

**पुलिस**

**अधीक्षक**

**जनपद**

**आजमगढ़**



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spzh-up@nic.in



पत्र संख्या- 198/2025

**प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़**

दिनांक-02.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 02.06.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

**01.थाना गम्भीरपुर: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त व सहयोग में रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 02.06.2025 को वादी मुकदमा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे बुआ की लडकी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है मेरे घर पर आयी हुई थी। कल दिनांक 01.06.2025 को मेरी बहन व बुआ की लडकी मेरे चाचा का घर निमंत्रण में गयी थी वहां से वापस लौटते समय बीच रास्ते में दीपक पटेल पुत्र हिरालाल, सुमित पटेल पुत्र बटोरन पटेल, फरहान पुत्र खुर्शीद निवासीगण रामपुर(रानीपुर रजमो) बगल के बगीचे में लेकर चले गये, जहां पर सुमित पटेल द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया तथा अन्य 02 आरोपी दीपक व फरहान सहयोग में कुछ दूर पर मौजूद रहे। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 160/25 धारा 65(1),61(2) BNS व 3/4(2) पाँक्सो एक्ट बनाम 1. सुमित पटेल पुत्र रामबचन सिंह उर्फ बटोरन पटेल निवासी ग्राम रानीपुर रजमो (रामपुर) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. दीपक पटेल पुत्र हीरालाल पटेल निवासी ग्राम रानीपुर रजमो (रामपुर) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 3. फरहान पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम रानीपुर रजमो (रामपुर) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना मुझ थानाध्यक्ष द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में पीड़िता का धारा 180 BNSS का नियमानुसार दर्ज कर मेडिकल परीक्षण के लिये भेजा गया है।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 02.06.2025 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त 1.सुमित पटेल पुत्र रामबचन सिंह उर्फ बटोरन पटेल निवासी ग्राम रानीपुर रजमो (रामपुर) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. दीपक पटेल पुत्र हीरालाल पटेल निवासी ग्राम रानीपुर रजमो (रामपुर) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 3. फरहान पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम रानीपुर रजमो (रामपुर) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को मुजफ्फरपुर चौराहे पास से समय 09.30 गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग**

1. मु.अ.सं.160/2025 धारा 65(1),61(2) BNS,3/4(2) पास्को एक्ट थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-**

- 1.सुमित पटेल पुत्र रामबचन सिंह उर्फ बटोरन पटेल निवासी ग्राम रानीपुर रजमो ( रामपुर ) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. दीपक पटेल पुत्र हीरालाल पटेल निवासी ग्राम रानीपुर रजमो ( रामपुर ) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

3. फरहान पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम रानीपुर रजमो (रामपुर) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़  
गिरफ्तारी करने वाली टीम

थानाध्यक्ष बसन्त लाल

का0 अमित सरोज ,

का0 आनन्द यादव ,

म0का0 मीनू दुबे थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़



## 02.थाना अतरौलिया: चोरी के चेन के साथ 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

### पूर्व का विवरण-

दिनांक- 02.06.2025 को वादी मुकदमा संजय कुशवाहा पुत्र छांगुर राम मौर्य ग्राम रतनावे थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 02.06.2025 को समय 09.00 अपनी मां के साथ पौहारी बाबा मन्दिर सैरिया रतनावे दर्शन करने जाना जहां पर एक महिला द्वारा वादी मुकदमा की मां के गले की चेन चोरी करना जिसे मौके पर ही दर्शनार्थियों की मदद से पकड कर चेन बरामद करने के संबंध में प्रा0पत्र दिया गया प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 183/25 धारा 303(2),317(2) बी.एन.एस बनाम 1. पिकी पत्नी बबलू निवासी रेलवे क्रासिंग मोहम्मदाबाद जनपद मऊ स्थाई पता दौलतपुर थाना घोसी जनपद मऊ के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 अभिषेक यादव द्वारा संपादित किया जा रहा है।

### गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 02.06.2025 को वादी मुकदमा संजय कुशवाहा पुत्र छांगुर राम मौर्य ग्राम रतनावे थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा पौहारी बाबा मन्दिर सैरिया रतनावे से अभियुक्ता पिकी पत्नी बबलू निवासी रेलवे क्रासिंग मोहम्मदाबाद जनपद मऊ स्थाई पता दौलतपुर थाना घोसी जनपद मऊ को दर्शनार्थियों की मदद से गले की सोने की चेन के साथ पकड कर थाने पर लाया गया, जिसे उ0नि0 अभिषेक यादव मय हमराह म0का0 अभिलाषा द्विवेदी द्वारा अभियुक्ता व चोरी की चेन को कब्जा पुलिस मे लेकर अभियुक्ता को म0का0 की अभिरक्षा मे म0हे0डे0 लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 18325 धारा 303(2)/ 317(2) BNS थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्ता -

1. पिकी पत्नी बबलू निवासी रेलवे क्रासिंग मोहम्मदाबाद जनपद मऊ स्थाई पता दौलतपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 50 वर्ष

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 45/23 धारा 379/411 भादवि थाना रामनगर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी
2. मु0अ0सं0 60/23 धारा 379/411 भादवि थाना रामनगर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी
3. मु0अ0सं0 62/23 धारा 401/411 भादवि थाना रामनगर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी
4. मु0अ0सं0 183/25 धारा 303(2)/ 317(2) BNS थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

### बरामदगी - गले की सोने की चेन

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 अभिषेक यादव
2. म0आ0 अभिलाषा द्विवेदी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़



### 03.थाना- बरदह:किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

#### पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 30.05.25 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि विपक्षी जयप्रकाश पुत्र भभूति पाण्डेय ग्राम जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ डरा धमका कर शारीरिक सम्बन्ध बनाता है तथा पूछने गयी पड़ोस की लड़की को ईट से मार दिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 153/25 धारा 65(1),351(3),115(2) BNS & 4(2) POCSO पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

#### गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक- 02.06.25 को थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जयप्रकाश पाण्डेय पुत्र विभूति उर्फ भभूति पाण्डेय निवासी ग्राम जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष को जिवली तिराहे के पास से समय करीब 5.55 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-जयप्रकाश पाण्डेय पुत्र विभूति उर्फ भभूति पाण्डेय निवासी ग्राम जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष

